मीर मोहम्मद खासिम

बनाम

भारत संघ और अन्य

26 मार्च, 2004

[ब्रिजेश कुमार और अरुण कुमार, जे. जे.]

इस अपील में विवाद सेवा में परिवीक्षा अवधि के सफल समापन पर मानी गई पुष्टि (स्थायीकरण) (Confirm) के प्रश्न से संबंधित है और नियोक्ता द्वारा इस आशय का एक आदेश पारित किया गया है, जिसके बाद पारित करने की औपचारिकता के अलावा और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। पुष्टिकरण स्थायीकरण के क्रम में अपीलकर्ता को आंध्र प्रदेश राज्य के पुलिस विभाग में ए एस आई के रूप में नियुक्त किया गया था और वर्ष 1975 में पुलिस उपाधीक्षक श्रेणी-3 के रूप में पदोन्नत किया गया था। उन्हें 01.03.1982 से पुलिस उपाधीक्षक श्रेणी-2 के रूप में पदोन्नत किया गया था। उन्हें परिवीक्षा पर रखा गया था। कुछ समय बाद उनकी परिवीक्षा समाप्त कर दी गई और उन्हें उनके पूर्व कैडर में वापस कर दिया गया, जिसे उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई। इसके परिणामस्वरूप रिट याचिका को अनुमति दी गई, 06.10.1989 को एक आदेश जारी किया गया जिसमें घोषणा की गई कि

अपीलकर्ता ने आंध्र प्रदेश पुलिस सेवा नियमों, के नियम 7 (ई) में छूट देते हुए 27.1.1987 से परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है।

राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की दिनांक 01.06.1989 की वरिष्ठता सूची में उन्हें क्रमांक 103 पर रखा गया था। निजी उत्तरदाताओं के नाम क्रम संख्या 118 और 125 पर रखे गए थे। राज्य पुलिस सेवाओं से भारतीय पुलिस सेवा में चयन के लिए योग्य उम्मीदवारों पर विचार किया जाना था, जिसके लिए 05.01.1990 को चयन किया गया था और 1989 के लिए चयन सूची तैयार की गई थी लेकिन अपीलकर्ता का नाम सूची में नहीं आया। वरिष्ठता सूची में अपीलकर्ता से कनिष्ठ दिखाए गए निजी उत्तरदाताओं पर विचार किया गया और उनका चयन किया गया। अपीलकर्ता पर चयन समिति द्वारा इस टिप्पणी के साथ विचार नहीं किया गया कि उसकी अभी तक पुष्टि (स्थायी) नहीं हुई है। इस तथ्य को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा प्रश्नगत चयन के रिकॉर्ड को देखकर सत्यापित किया गया था। वास्तव में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलकर्ता को भारतीय पुलिस सेवा के कैडर में चयन के लिए इस आधार पर विचार नहीं किया गया था कि उसकी पुष्टि नहीं की गई थी हालाँकि, अपीलकर्ता के अनुसार, उन्हें राज्य सरकार के दिनांक 06.10.1989 के आदेश के मद्देनजर स्थायी माना जाएगा जिसमें कहा गया है कि अपीलकर्ता ने पुलिस उपाधीक्षक श्रेणी 2 के कैडर में परिवीक्षा की

अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है राज्य सरकार का उक्त आदेश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: "गृह (पुलिस. ई.) विभाग GORt. No.3245 दिनांक 6 अक्टूबर, 1989 निम्नलिखित पढ़ें:-

1.जीओएम.सं.39 होम (पुलिस-ई) डीपीटी दिनांक 16.01.1982

2. जीओ.एमएस.नं. 406 होम (पुलिस-ई), दिनांक 3.3.1983

3. जीओआरटी.नं.2923, होम (पुलिस-ई), दिनांक.20.10.1984।

4. जीओआरटी.नं.579 होम (पुलिस-ई) विभाग। दिनांक 22.3.1982

"श्री मोहम्मद खासिम, सहायक कमांडेंट (डीएसपी- श्रेणी-3) को ऊपर पढ़े गए जीओ 1 में पुलिस उपाधीक्षक, श्रेणी-2 के रूप में स्थानांतरण द्वारा नियुक्त किया गया था और 1-3-1982 से परिवीक्षा शुरू की गई थी उनकी परिवीक्षा समाप्त कर दी गई थी और उन्हें सहायक कमांडेंट के रूप में वापस कर दिया गया, हालांकि समकक्ष कैडर, जो उन्होंने ऊपर पढ़े गए GO2nd में पुलिस उपाधीक्षक, श्रेणी -2 के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले धारण किया था। WPMPNo. 1836 में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.10.1984 के आधार पर 1984 के WPNo.1398 में उन्हें ऊपर पढ़े गए GO3rd में परिवीक्षा की समाप्ति के आदेशों को रद्द करके पुलिस उपाधीक्षक श्रेणी-2 के रूप में फिर से नियुक्त किया गया और प्रशिक्षण के संतुलन को जारी रखने की अनुमति दी गई कर्तव्य अवधि 3-3-1983 से 19-11-1984 को उप पुलिस अधीक्षक श्रेणी-2 पर संवर्ग में कर्तव्य माना गया।

ए पी पुलिस सेवा नियमों के नियम 6 (ए) के तहत, वह लगातार दो वर्षों की अवधि के भीतर ड्यूटी पर एक वर्ष की कुल अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा समान नियमों के नियम 7(ई) में यह प्रावधान है कि एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति को पुलिस उपाधीक्षक, श्रेणी-2 के रूप में नियुक्ति के बाद आयोजित पांचवीं छमाही परीक्षा में या उससे पहले नियम और 7(ए) में निर्धारित परीक्षण पास करना होगा श्री मो. खासिम ने सितंबर, 1986 में आयोजित परीक्षा में विभागीय टेस्ट-डी(आई) उत्तीर्ण की और परीक्षा का परिणाम 27.1.1987 को सरकार को प्राप्त हुआ।

सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, ए पी स्टेट और अधीनस्थ सेवा नियमों के नियम 47 के तहत, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री मोहम्मद खासिम, पुलिस उपाधीक्षक, श्रेणी -2 के पक्ष में और ए पी स्टेट के नियम 26 के तहत एपी पी एस के नियम 7(ई) में ढील देते हैं और अधीनस्थ सेवा नियम, सरकार इसके द्वारा श्री मोहम्मद खासिम की पुलिस उपाधीक्षक, श्रेणी-2 के रूप में परिवीक्षा 27.1.1987 तक बढ़ाती है और घोषणा करती है कि उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक के कैडर में अपनी परिवीक्षा संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है। ANO 27.1.1987 पर श्रेणी-21 (आदेशानुसार और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के नाम से) Sd/-

पी. वी. रंगैया नायडू, प्रधान सचिव, सरकार (जोर दिया गया) अपीलकर्ता का मामला यह है कि नियमों के अनुसार परिवीक्षा अवधि के

सफल समापन के बाद और संबंधित कर्मचारी की पुष्टि से पहले कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है ऐसी परिस्थितियों में पुष्टिकरण को परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद किया गया माना जाएगा क्योंकि इसे किसी भी तरह से आगे बढ़ाया नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, प्रतिवादी का मामला यह है कि नियम 6 और 7 के तहत निहित प्रावधानों, विशेष रूप से एपी पी एस नियमों के नियम 7 के उप-नियम (ई) के मद्देनजर, परिवीक्षा अवधि के रूप में तीन साल की एक और अवधि अभी भी पूरी की जानी बाकी थी अपीलकर्ता की 27.1.1987 से प्रभावी एक वर्ष की अवधि के अतिरिक्त, ताकि वह पुलिस उपाधीक्षक श्रेणी 2 के रूप में पुष्टि के लिए पात्र हो सके। 27.1.1987 से प्रभावी तीन वर्षों की अवधि 27.1.1990 को पूरी हो गई होगी। इसलिए, वर्ष 1989 में भारतीय पुलिस सेवा में चयन के लिए अपीलकर्ता पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था APPS नियमों के नियम 6 और 7 नीचे उद्धृत किए गए हैं:

"(ए) परिवीक्षा सेवा में किसी श्रेणी में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, यदि सीधे भर्ती किया जाता है, तो तीन साल की निरंतर अवधि के भीतर ड्यूटी पर कुल दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा; और एक वर्ष की कुल अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा स्थानांतरण या पदोन्नति द्वारा भर्ती होने पर दो वर्ष की निरंतर अवधि के भीतर ड्यूटी। पुलिस उपाधीक्षक, श्रेणी-2 के पद पर नियुक्त प्रत्येक उप पुलिस अधीक्षक, श्रेणी-3, कुल एक

वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा दो वर्ष की निरंतर अवधि के भीतर ड्यूटी पर।

(बी) पुलिस उपाधीक्षक, श्रेणी-2 या श्रेणी 3 की श्रेणी में एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति, अपनी परिवीक्षा के प्रयोजन के लिए, किसी भी पद पर उसके द्वारा किए गए कर्तव्य, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को गिनने के लिए पात्र होगा जो कि एक द्वारा घोषित किए गए हैं। सरकार के सामान्य या विशेष आदेश को पुलिस उपाधीक्षक, श्रेणी-2 या जैसा भी मामला हो, श्रेणी 3 के पद से जुड़े लोगों के समकक्ष माना जाएगा।

(सी) पुलिस उपाधीक्षक, श्रेणी-2 या पुलिस उपाधीक्षक, श्रेणी-3 की श्रेणी में एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति तब तक पहली वेतन वृद्धि प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह निर्धारित परीक्षण पास नहीं कर लेता और परिवीक्षा की अवधि को संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं कर लेता। हालांकि परीक्षणों में उत्तीर्ण न होने के कारण परिवीक्षा की घोषणा को स्थगित करने से निर्धारित परीक्षणों में उत्तीर्ण होने के बाद भविष्य की वेतन वृद्धि को स्थगित करने का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परीक्षण (ए) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त व्यक्ति को अपनी नियुक्ति के बाद आयोजित पांचवीं अर्धवार्षिक परीक्षा में या उससे पहले में एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(बी) पुलिस उपाधीक्षक, श्रेणी-2, पुलिस उपाधीक्षक, श्रेणी -3 के पद से नियुक्त, यदि वह पहले से ही उत्तीर्ण नहीं हुआ है, तो उपरोक्त उप-नियम (ए) में निर्धारित परीक्षाओं को या उससे पहले उत्तीर्ण करेगा। पुलिस उपाधीक्षक श्रेणी-2 के पद पर नियुक्ति के बाद पांचवीं अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की गई।

(सी) सामान्य नियमों में किसी बात के बावजूद, लेकिन उप-नियम (डी) में निर्दिष्ट अपवादों के अधीन

(I) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को तब तक अनुमोदित परिवीक्षाधीन घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उप-नियम (ए) में निर्दिष्ट अपनी नियुक्ति के बाद आयोजित पांचवीं छमाही परीक्षा में या उससे पहले सभी विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता।

(ii) यदि ऐसे किसी व्यक्ति ने परिवीक्षा की निर्धारित अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है और उसे अनुमोदित परिवीक्षाधीन घोषित कर दिया गया है, तो उसे उस तारीख से सेवा का पूर्ण सदस्य माना जाएगा जिस दिन उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है;

(iii) यदि ऐसा कोई व्यक्ति उप-नियम (ए) के अनुसार अपेक्षित किसी भी विषय में परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहता है, तो उसे आदेश द्वारा सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसे किसी भी विषय

में परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट न दी जाए। या परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है;

(डी) यदि ऐसे व्यक्ति को उक्त सभी या किसी भी विषय में परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी गई है या उसने उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दी गई अतिरिक्त अवधि या अवधि के भीतर उक्त परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, तो उसे संतोषजनक ढंग से उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली है, यदि अन्यथा ऐसी घोषणा के लिए उपयुक्त पाया जाता है, और एक पूर्ण सदस्य नियुक्त किया गया है और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तारीख से वेतन वृद्धि के लिए उसकी सेवा की गणना की जाएगी, लेकिन ऐसी तारीख उस तारीख से पहले नहीं होगी सेवा में उनकी नियुक्ति के बाद पाँचवीं अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की गई।

(ई) पुलिस उपाधीक्षक, श्रेणी-3 के पद से पुलिस उपाधीक्षक, श्रेणी-2 के पद पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति को श्रेणी-2 में अनुमोदित परिवीक्षाधीन घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसने सभी विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर ली हो। उप-नियम (बी) में निर्दिष्ट अनुसार उनकी नियुक्ति के बाद आयोजित पांचवीं अर्धवार्षिक परीक्षा में या उससे पहले। ऐसे व्यक्ति को पुलिस उपाधीक्षक, श्रेणी-2 के रूप में पुष्टि होने से पहले नियम 6 में निर्धारित परिवीक्षा अवधि के अलावा तीन साल की और संतोषजनक सेवा प्रदान करनी होगी।"

प्रतिवादी के विद्वान वकील के अनुसार अपीलकर्ता का परिवीक्षा की एक वर्ष की अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने और परीक्षणों को पास करने पर एक अनुमोदित परिवीक्षाधीन घोषित किया जाएगा, जिसके बाद उसे सेवा में पुष्टि के लिए पात्र बनने से पहले तीन साल की परिवीक्षा अवधि से गुजरना होगा। आदेश दिनांक 6.10.1989 के माध्यम से उन्हें 27.1.1987 से केवल अनुमोदित परिवीक्षाधीन घोषित किया गया था, इसलिए, नियम 7(ई) के अनुसार 27.1.1987 से तीन साल की अतिरिक्त अवधि की गणना की जाएगी जो अवधि 27.1.1990 को पूरी होगी, इसलिए यह प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं था कि अपीलकर्ता को 27.1.1990 से पहले किसी भी समय पुष्टि की गई समझी जा सकती है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि जब तक किसी कर्मचारी की पुष्टि के लिए कोई विशिष्ट आदेश पारित नहीं किया जाता है, तब तक कोई स्वचालित पुष्टि नहीं होती है। उत्तरार्द्ध प्रस्तुतीकरण को और मजबूत करने के लिए यह बताया गया है कि इस मामले में नियमों के तहत परिवीक्षा की कोई अधिकतम अवधि प्रदान नहीं की गई है, जिसकी समाप्ति पर यह दावा किया जा सकता है कि अपीलकर्ता की स्वचालित पुष्टि होगी और न ही यह प्रदान किया गया है कि अवधि परिवीक्षा अवधि को नियम 6 और 7 के तहत प्रदान की गई सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसलिए, चार साल की परिवीक्षा अवधि के बाद भी अपीलकर्ता को परिवीक्षा पर ही जारी रखा गया माना

जाएगा, जब तक कि विशेष रूप से पुष्टि का आदेश पारित नहीं किया गया हो।

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री के. अमरेश्धरी ने आगे कहा कि अपीलकर्ता को छूट देने के दिनांक 6.10.1989 के आदेश को पढ़ने से पता चलता है कि छूट केवल अब तक अवधि की अवधि से संबंधित थी। जिसके अंतर्गत एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति द्वारा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक था। एपी पी एस आर नियमों के नियम 7 (ए) में उनकी नियुक्ति के बाद आयोजित 5 वीं छमाही परीक्षा में या उससे पहले निर्धारित परीक्षणों को पास करने का प्रावधान है, जबकि नियम 7 के खंड (बी) में यह प्रावधान है कि जिन्हें पुलिस उपाधीक्षक श्रेणी

3 से पदोन्नत किया गया है। श्रेणी 2, यदि वे पहले ही उप-नियम में निर्धारित परीक्षण उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं। (ए) अपनी नियुक्ति के बाद आयोजित 5 वीं छमाही परीक्षा में या उससे पहले, श्रेणी 2 में अपनी नियुक्ति के अनुसार ऐसा करेंगे; अपीलकर्ता ने ढाई साल की अवधि के बाद निर्धारित परीक्षाएं उत्तीर्ण की, अर्थात् सितंबर, 1986 में आयोजित परीक्षा में ही, जिसका परिणाम 27.1.1987 को घोषित किया गया थायह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता को छूट केवल उस अवधि के संबंध में दी गई है जिसके दौरान उसे परीक्षणों को पास करना आवश्यक था। इस संबंध में, हमारा ध्यान आदेश दिनांक 6.10.1989 की ओर आकर्षित किया गया है

जहां आदेश के अंतिम लेकिन एक पैराग्राफ में यह उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्ता को अपनी नियुक्ति के बाद आयोजित 5 वीं अर्धवार्षिक परीक्षा में या उससे पहले निर्धारित परीक्षण पास करना होगा लेकिन अपीलकर्ता ने सितंबर, 1986 में परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसलिए, तर्क यह है कि छूट का आदेश उस समय की अवधि से संबंधित है जिसे पेपर पास करने के लिए बढ़ाया गया है, न कि परिवीक्षा की तीन साल की अवधि के संबंध में जो आगे बढ़ गई है एपीपीएसआर नियमों के नियम 6 (ए) के तहत प्रदान की गई परिवीक्षा की एक वर्ष की अवधि से अधिक किया जाना चाहिए। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता को केवल तभी अनुमोदित परिवीक्षाधीन घोषित किया जा सकता है जब उसने नियम 6 (ए) के तहत परिवीक्षा की एक वर्ष की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो और 5 वीं छमाही परीक्षा में या उससे पहले लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और बाद के मद्देनजर एपीपीएसआर नियमों के नियम 7 के खंड (ई) के भाग के अनुसार, उसे नियम 6 में निर्धारित परिवीक्षा अवधि के अलावा पुष्टिकरण से पहले तीन साल की एक और संतोषजनक सेवा पूरी करनी होगी।

प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा की गई दलील पर विचार करने पर, हमें प्रतिवादी द्वारा पढ़े जाने वाले तरीके से छूट के आदेश को पढ़ना मुश्किल लगता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियम 6 के अनुसार एक पदोन्नत अधिकारी को अनुमोदित परिवीक्षा घोषित किए जाने से पहले

शुरू में एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी करनी होगी। अन्य आवश्यकता नियम 7(ए) के तहत निर्धारित परीक्षणों को पास करने की हैनियम 7 के खंड (ई) के उत्तरार्ध के तहत प्रदान किए गए अनुसार सेवा में पुष्टि होने से पहले तीन साल की संतोषजनक सेवा की एक और अवधि पूरी की जानी है। लेकिन छूट के आदेश को परीक्षणों को पास करने की अवधि तक सीमित रखना संभव नहीं है और नियम 6(ए) के तहत एक वर्ष की अवधि के अलावा, तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि की आवश्यकता के संबंध में नहीं दिनांक 6.10.1989 के आदेश के अंतिम परन्तु एक पैराग्राफ में इस तथ्य का उल्लेख है कि अपीलकर्ता ने सितंबर, 1986 में आयोजित परीक्षा में परीक्षा उत्तीर्ण की थी जिसका परिणाम 27.1.1987 को सरकार को प्राप्त हुआ था। इसके बाद अगले पैराग्राफ में एपीपीएसआर नियमों के नियम 7(ई) और एपीराज्य और अधीनस्थ सेवा नियमों के नियम 26 में छूट का उल्लेख है। आदेश में आगे कहा गया है कि अर्पीलकर्ता की परिवीक्षा अवधि 27.1.1987 तक बढ़ा दी गई थी। उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख करने के बाद आदेश घोषित करता है कि अपीलकर्ता ने पुलिस उपाधीक्षक श्रेणी 2 के कैडर में अपनी परिवीक्षा संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है। जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, "नियम 7 (ई) " और "नियम के तहत" में छूट का विशेष उल्लेख है। एपीराज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियमावली की धारा 26" इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि नियम 7(ई) की छूट उक्त खंड के पहले भाग तक सीमित है और यह बाद वाले भाग को कवर नहीं करता

है। वास्तव में पांच अर्धवार्षिक परीक्षाओं में परीक्षण पास करने की आवश्यकता नियम 7 (बी) में प्रदान की गई है, न कि नियम 7 के खंड (ई) में जो नियम 7(बी) या अन्यत्र नहीं बल्कि केवल में प्रदान की गई है उप-नियम (ई) उत्तरार्द्ध भाग में निहित है जो नियम 6 में निर्धारित परिवीक्षा अवधि के अलावा तीन साल की अतिरिक्त संतोषजनक सेवा प्रदान करता है। अपीलकर्ता को 1.3.1982 को पुलिस उपाधीक्षक श्रेणी 2 के रूप में नियुक्त किया गया था और संतोषजनक की घोषणा की गई थी उनकी परिवीक्षा अवधि 27.1.1987 से पूरी हो रही है। यह लगभग 5 वर्ष की अवधि है। हमें नियम 7(ई) में दी गई छूट को बाद वाले हिस्से को नजरअंदाज करते हुए केवल पहले भाग तक सीमित रखना मुश्किल लगता है और ऐसा करने का कोई कारण नहीं दिखता है। छूट के आदेश में जो घोषणा शामिल है वह यह है कि अपीलकर्ता ने पुलिस उपाधीक्षक श्रेणी 2 के कैडर में अपनी परिवीक्षा संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है। यह कहने का व्यर्थ प्रयास किया गया है कि शायद अपीलकर्ता ने प्रारंभिक परिवीक्षा की एक वर्ष की अवधि पूरी नहीं की होगी। नियम 6 के तहत, इसलिए, नियम 6 में एक वर्ष की अवधि के बाद तीन वर्ष की अवधि के संतोषजनक समापन की कोई घोषणा नहीं की जा सकती है। हम नियम 7(ई) के तहत परिवीक्षा की अवधि के संतोषजनक समापन की घोषणा के रूप में उक्त प्रस्तुतिकरण की सराहना करने में सक्षम नहीं हैं। बिना किसी शर्त के और उल्लेखनीय रूप से परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक समापन

की उक्त घोषणा पुलिस उपाधीक्षक श्रेणी 2 के कैडर में है। इसलिए, हम इस दलील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि छूट के आदेश की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि इसे सीमित रखा जाए। केवल परीक्षणों को पास करने में लगने वाले समय के लिए। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिनांक 6.10.1989 का आदेश अपीलकर्ता को "अनुमोदित परिवीक्षाधीन" घोषित नहीं करता है जैसा कि प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आदेश को पढ़ने से पता चलता है कि यह पुलिस उपाधीक्षक श्रेणी 2 के संवर्ग में किसी भी प्रकार के प्रतिबंध के बिना परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक ढंग से पूरा करने से संबंधित है।

निजी उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी का कहना है कि सेवा नियमों में छूट देने वाले आदेश को सख्ती से समझा जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया है कि आदेश दिनांक 6.10.1989 को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और ऐसा करने से यह स्पष्ट होगा कि छूट एपीस्टेट और अधीनस्थ सेवा नियमों के नियम 26 के तहत है। यह अपीलकर्ता द्वारा ली गई परीक्षाओं को पास करने में पाँच से अधिक अर्धवार्षिक परीक्षाओं की अवधि के संबंध में है। नियमों से छूट प्रदान करने वाले आदेशों के सख्त निर्माण के समर्थन में, सूरज प्रकाश गुप्ता और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया

गया है। सूरज प्रकाश गुप्ता वगैरह बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं अन्य (2000) 7 एस सी सी 561 में रिपोर्ट किया गया।

हमारा ध्यान विशेष रूप से निर्णय के पैराग्राफ 28 की ओर आकर्षित किया गया है जहां यह देखा गया है कि भर्ती के बुनियादी या मौलिक नियमों में कोई छूट नहीं दी जा सकती है। उस संदर्भ में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय केशव चंद्र जोशी बनाम भारत संघ, 1992 सप्ल (1) एस सी सी 272 बनाया गया था, जहां लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता वाले नियम में छूट को स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि ऐसी शर्त को अनिवार्य माना गया था। यह मामला हाथ में आये मामले पर लागू नहीं होगा. निजी उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि किसी प्राधिकारी को सेवा की शर्तों आदि में छूट देने का अधिकार देने वाला नियम इतना व्यापक नहीं हो सकता है कि किसी भी प्रकार की छूट दी जा सके। यह प्रस्तुत किया गया है कि नियम 47 को बहुत व्यापक शब्दों में लिखा गया है और प्राधिकरण को बहुत व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। उपरोक्त प्रस्तुतिकरण के संबंध में, यह देखना पर्याप्त है कि छूट का आदेश 6.10.1989 को पारित किया गया था। इसे कभी चुनौती नहीं दी गई न तो वर्तमान निजी उत्तरदाताओं द्वारा और न ही किसी अन्य द्वारा यहां तक कि ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही के दौरान भी एपीस्टेट और अधीनस्थ नियमों के नियम 47 की वैधता के बारे में ऐसा

कोई आधार नहीं रखा गया था। हमें नहीं लगता कि इस स्तर पर नियम 47 की वैधता के बारे में याचिका पर विचार करना उचित होगा। अन्य उत्तरदाता भी इस मामले में आगे नहीं आए हैं कि नियम 47 प्राधिकरण में बहुत व्यापक शक्तियां निहित करने के लिए खराब है या नियम 47 के दायरे से परे जाने के कारण छूट का आदेश खराब है। यदि हां, तो ऐसी दलील बेहतर हो सकती है किसी अन्य उचित मामले में जांच की जाएगी। वर्तमान में, हम पाते हैं कि यह इस अपील के दायरे से बाहर है। अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय द्वारा AIR 1977 SC 451, आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य बनाम श्री डी जनार्द्धन राव और अन्य में रिपोर्ट किए गए एक मामले में नियम की वैधता को पहले ही बरकरार रखा जा चुका है। हालाँकि, हम मामले में आगे बढ़े बिना इस बिंदु को यहीं छोड़ देते हैं।

विचार के लिए जो विवादास्पद प्रश्न उठता है वह अपीलकर्ता को नियम 7(ई) से छूट देने के आदेश के प्रभाव और उक्त आदेश से उत्पन्न होने वाले परिणामों के बारे में है। अपीलकर्ता के अनुसार परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने पर अधिकारी को स्थायी करने से पहले कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ आवश्यक था वह पूरा कर लिया गया था क्योंकि अपीलकर्ता ने नियम 6(बी) के तहत आवश्यक परीक्षणों को पास कर लिया था और साथ ही परिवीक्षा की अवधि भी पार कर ली

थी जिसे नियम 7(ई) के अनुसार परिवीक्षा की अवधि के सफल समापन के रूप में माना गया है। उस स्थिति में अपीलकर्ता की पुष्टि की गई मानी जाएगी। जबकि प्रतिवादी संख्या 3 की विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री के. अमरेश्वरी का कहना कि जब तक पुष्टिकरण का आदेश पारित नहीं किया जाता, अपीलकर्ता को पुष्टिकृत नहीं माना जा सकता। आगे बताया गया है कि नियम परिवीक्षा की कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं करते हैं और न ही कोई प्रावधान कहता है कि इसे किसी निश्चित समय अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में, यह प्रस्तुत किया जाता है, कानून तय है कि जब तक ऐसा आदेश पारित नहीं किया जाता तब तक कोई स्वचालित पुष्टि नहीं होगी हमारे विचार में, इस प्रस्ताव के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है कि जहाँ परिवीक्षा की कोई अधिकतम अवधि प्रदान नहीं की जाती है, वहां परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर कर्मचारी की स्वचालित पुष्टि नहीं होगी जब तक कि उस संबंध में कोई आदेश पारित न किया जाए। ऐसे मामलों में यह माना जाता है कि परिवीक्षा की अवधि तब तक जारी रहती है जब तक कि पुष्टिकरण का आदेश पारित नहीं हो जाता हमारा ध्यान पुलिस आयुक्त, हुबली एवं अन्य के मामले में एक निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है। पुलिस आयुक्त हुबली वगैरह बनाम आर एस मोर, (2003) 2 एस सी सी 408 वाले मामले में नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षा की अवधि को कुछ निर्धारित सीमा तक बढ़ाने का अधिकार दिया गया था, लेकिन एक और प्रावधान था कि केवल निर्धारित अवधि की

समाप्ति या परिवीक्षा की विस्तारित अवधि परिवीक्षाकर्ता को अपनी परिवीक्षा के संतोषजनक समापन का दावा करने का अधिकार नहीं देगी। इसलिए वह परिवीक्षा के अधीन रहेगा और इसे स्थायी पुष्टि नहीं माना जाएगा। इस मामले के संबंध में यह देखा जा सकता है कि नियम स्वयं परिवीक्षा की अवधि के विस्तार के लिए प्रदान करता है और उसके बाद परिवीक्षा की अवधि या विस्तारित परिवीक्षा अवधि कोपूरा करने से स्वचालित रूप से पुष्टि किए गए समझे जाने वाले कर्मचारी को तब तक अधिकार नहीं मिलेगा जब तक कि इसमें कोई विशिष्ट आदेश न हो। संबंध पारित हो गया है। इसलिए उपरोक्त निर्णय से प्रतिवादी को कोई मदद नहीं मिलेगी। आगे यह देखा जा सकता है कि परिवीक्षा की अवधि और स्थायीकरण के मामले में यह हमेशा नियम की भाषा पर निर्भर करेगा। रजिस्ट्रार और अन्य के माध्यम से एमपी उच्च न्यायालय के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय का भी संदर्भ दिया गया है। मध्यप्रदेश राज्य जरिए रजिस्ट्रार वगैरह बनाम सत्य नारायण झावर, (2001) 7 एस सी सी 161 में रिपोर्ट किया गया कि विशेष रूप से फैसले के पैराग्राफ 11 के लिए, जिसे हम लाभप्रद रूप से निम्नानुसार उद्धृत करते हैं:

> "सेवा न्यायशास्त्र में डीम्ड पुष्टिकरण का प्रश्न, जो प्रासंगिक सेवा नियमों की भाषा पर निर्भर है, इस न्यायालय

के समक्ष विचार का विषय रहा है, कई बार विभिन्न निर्णयों में संख्या के बिना और इस बिंदु पर मामलों की तीन पंक्तियाँ हैं मामलों की एक पंक्ति वह है जहां सेवा नियमों या नियुक्ति पत्र में परिवीक्षा की अवधि निर्दिष्ट की जाती है और परिवीक्षा की अधिकतम अवधि निर्धारित किए बिना उसे बढ़ाने की शक्ति भी प्राधिकारी को प्रदान की जाती है और यदि अधिकारी को परिवीक्षा अवधि से परे जारी रखा जाता है निर्धारित या विस्तारित अवधि के बावजूद, उसे स्थायी नहीं माना जा सकता है। ऐसे मामलों में परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी समय समाप्ति पर कोई रोक नहीं है। मामलों की दूसरी पंक्ति यह है कि जहां एक प्रावधान है प्रारंभिक परिवीक्षा और उसके विस्तार के नियमों के अनुसार, ऐसे विस्तार के लिए एक अधिकतम अवधि भी प्रदान की जाती है, जिसके आगे परिवीक्षा बढ़ाने की अनुमति नहीं है। ऐसे मामलों में निष्कर्ष यह है कि संबंधित अधिकारी को अधिकतम अवधि की समाप्ति पर पुष्टि की गई मानी जाती है। यदि इसकी समाप्ति से पहले परिवीक्षा समाप्ति का आदेश पारित नहीं किया गया है। मामलों की अंतिम पंक्ति वह है, जहां नियमों के तहत परिवीक्षा की

अधिकतम अवधि निर्धारित है, लेकिन इसके लिए नियोक्ता की ओर से पुष्टिकरण का आदेश जारी करके और पुष्टिकरण के प्रयोजनों के लिए एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक विशिष्ट कार्य की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में, भले ही परिवीक्षा की अधिकतम अवधि समाप्त हो गई हो और न तो पुष्टिकरण का कोई आदेश पारित किया गया हो और न ही संबंधित व्यक्ति ने अपेक्षित परीक्षण पास किया हो, उसे केवल इसलिए पुष्टिकृत नहीं माना जा सकता क्योंकि उक्त अवधि समाप्त हो गई है।"

प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, अपीलकर्ता पहली श्रेणी के साथ-साथ अंतिम श्रेणी में भी आता है, जहां परिवीक्षा की कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है और जहां परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के साथ-साथ उसे कुछ अन्य उपलब्धी भी हासिल करनी होती है। वर्तमान मामले में पाँच अर्धवार्षिक परीक्षाओं में निर्धारित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना। यह बताया जा सकता है कि यह किसी का भी मामला नहीं है कि अपीलकर्ता किसी भी शर्त के मद्देनजर पुष्टि किए गए समझे जाने का हकदार है कि परिवीक्षा की अवधि एक निश्चित सीमा से

अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है, ऐसी स्थिति में कर्मचारी को पुष्टि की गई माना जाता है। हमारा मानना है कि इस बिंदु पर पंजाब राज्य बनाम मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला है। पंजाब राज्य बनाम धर्मसिंह, 1968 (3) एस सी आर पी 1 में यह प्रावधान करते हुए कि यदि किसी कर्मचारी को परिवीक्षा की अधिकतम अवधि के बाद भी जारी रखा जाता है, जिसे नियमों के तहत आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है तो कर्मचारी को पुष्टि की गई माना जाएगा, वह क्षेत्र में बना रहेगा। लेकिन सत्य नारायण झावर (सुप्रा) के मामले में निर्णय के पैरा 11 में उद्धृत मामले में मामलों की दूसरी श्रेणी बनाने का दावा नहीं किया गया है।

प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने ठीक ही कहा है कि याचिकाकर्ता का मामला कर्मचारियों की पहली और तीसरी श्रेणी में आ सकता है जैसा कि ऊपर उद्धृत झावर के मामले के पैरा 11 में दर्शाया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि नियम परिवीक्षा की कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं करते हैं जिसके आगे इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है और परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के साथ-साथ कर्मचारी को आवश्यक परीक्षण भी पास करने होंगे। हमें लगता है, अपने आप से, बिना किसी अतिरिक्त तथ्य के अपीलकर्ता डीम्ड पुष्टिकरण का दावा करने का हकदार नहीं होगा, लेकिन इस तथ्य के लिए कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 06.10.1989 को पारित एक आदेश हस्तक्षेप करता है जो एक घोषणा

करता है कि अपीलकर्ता ने संतोषजनक ढंग से अवधि पूरी कर ली है परिवीक्षा का जैसा कि विस्तार से चर्चा की गई है, निर्णय के पहले भाग में परीक्षा उत्तीर्ण करने में लगने वाली अवधि के साथ-साथ नियम 7 (ई) के संबंध में छूट दी गई है, जिसके उत्तरार्ध में संतोषजनक परिणाम के लिए तीन साल की अतिरिक्त अवधि का प्रावधान है। नियम 6 के तहत प्रदान की गई एक वर्ष की अवधि के अतिरिक्त परिवीक्षा। इसलिए, दोनों आवश्यकताओं से छूट दी गई है, उस पृष्ठभूमि में जो प्रश्न विचार के लिए उठता है, वह यह है कि ऐसी परिस्थितियों में कर्मचारी की पुष्टि मानी जाएगी या नहीं। हमारे विचार में, यह सत्य नारायण झावर (सुप्रा) के मामले में पैराग्राफ 11 में उल्लिखित तीन के अलावा अन्य मामलों की एक श्रेणी है। परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर स्थायी समझे जाने वाले परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्थायी न मानने के पीछे तर्क यह है कि जब तक स्थायीकरण का आदेश न हो, उसे परिवीक्षा पर जारी रखा हुआ माना जाएगा। लेकिन यहां हमें एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जहां राज्य सरकार ने स्वयं एक घोषणा दी है कि अपीलकर्ता ने पुलिस उपाधीक्षक श्रेणी 2 के कैडर में परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है। यह स्थिति होने के बावजूद यह नहीं कहा जा सकता है कि उपरोक्त के बावजूद उक्त आदेश दिनांक 6.10.1989 में अपीलकर्ता को अभी भी केवल इस कारण से परिवीक्षा पर जारी रखा जा सकता है क्योंकि पुष्टि का कोई विशिष्ट आदेश पारित नहीं किया गया है। बल्कि यह शब्दों में

आत्म-विरोधाभासी होगा। असंगति एक साथ नहीं रह सकती या तो कर्मचारी ने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है या वह अभी भी परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने की प्रक्रिया में हैं, भले ही यह अवधि इस उद्देश्य के लिए निर्धारित अवधि से अधिक हो सकती है। परिवीक्षा की अवधि और नियमों के तहत निर्धारित किसी भी अन्य शर्त या आवश्यकता के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है और पालन करने का एकमात्र परिणाम यह है कि परिवीक्षा की अवधि के सफल समापन के साथ पदधारी को ऐसा माना जाएगा। पुष्टि की गई. यह अलग बात होती अगर अपीलकर्ता ने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली होती, लेकिन अभी तक नियम 6 (बी) के तहत निर्धारित परीक्षणों को पास नहीं किया होता क्योंकि उस मामले में अभी एक और बाधा पार करनी थी, लेकिन जैसा कि इसमें देखा गया है पहले हुई चर्चा में, अपीलकर्ता ने दोनों शर्तों को पूरा किया है, अर्थात् परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के साथ-साथ उसने नियमों के तहत निर्धारित परीक्षणों को भी पास कर लिया है। दोनों शर्तों का पालन किया जा चुका है और नियमों में छूट के राज्य के आदेश के तहत इस आशय की घोषणा की जा चुकी है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया जाना बाकी है। इस स्तर पर यह भी देखा जा सकता है कि दयाराम दयाल बनाम एमपी राज्य, (1997) 7 एस सी सी 443, वाले मामले में परिवीक्षा अवधि पूरी करने की शर्त के अलावा निर्धारित विभागीय परीक्षाओं

में उत्तीर्ण होने की शर्त की अनदेखी की गई। इसलिए, यह पाया गया कि निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना परिवीक्षा अवधि पूरी करना पर्याप्त नहीं था। इस प्रकार, दयाराम दयाल (सुप्रा) के मामले के संबंध में सत्य नारायण झावर (सुप्रा) के मामले में की गई टिप्पणी कि यह सही कानून नहीं बनाती है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है। ऊपर की गई चर्चा के मद्देनजर, जो स्थिति स्पष्ट रूप से उभरती है। वह यह है कि नियम 6 (ए) और 7 (ई) के संबंध में अपीलकर्ता को छूट देने के दिनांक 6.10.1989 के आदेश के अभाव में अपीलकर्ता इस स्थिति में नहीं होता। डीम्ड पुष्टिकरण के लाभ का दावा करने की स्थिति। लेकिन एक बार जब छूट दे दी गई और यह मान लिया गया कि उसने समय पर परीक्षण पास कर लिया है और यह घोषित कर दिया गया कि वह परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर लेगा, तो किसी अन्य औपचारिकता से गुजरना नहीं होगा, इस प्रकार उसे अनिवार्य रूप से पुष्टि की गई मानी जाएगी। मामले के इस दृष्टिकोण में, अपीलकर्ता को वर्ष 1989 के लिए भारतीय पुलिस सेवा के कैडर में चयन के लिए अनुचित रूप से विचार से बाहर कर दिया गया था।

प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री के. अमरेश्वरी ने कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने माना था कि राज्य सेवाओं में पुष्टिकरण के सवाल पर उसके द्वारा विचार नहीं किया जा

सकता है, इसलिए, मामले को या तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को भेजा जा सकता है या अपीलकर्ता को राज्य सेवा न्यायाधिकरण के समक्ष पुष्टिकरण के संबंध में अपना उपाय खोजने की अनुमति दी जा सकती है। हमें है कि पूरा मामला हमारे सामने है और सभी पक्षों ने मामले के सभी पहलुओं पर अपनी बात रखी है। हमें नहीं लगता कि इतनी देर में इसे किसी ट्रिब्यूनल में भेजना उचित मामला होगा, जब अपीलकर्ता पहले ही सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है। हालाँकि, प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा इस बिंदु को आगे नहीं बढ़ाया गया है और हम सही महसूस करते हैं।

परिणामस्वरूप, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और उत्तरदाताओं को वर्ष 1989 के लिए भारतीय पुलिस सेवा में चयन के लिए अपीलकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह काल्पनिक का हकदार होगा। निजी उत्तरदाताओं की स्थिति को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना केवल पदोन्नति और वित्तीय लाभ, जिसे वर्ष 1989 में भारतीय पुलिस सेवा के लिए उनके चयन के आधार पर जारी रखा जाएगा।

पार्टियाँ अपना खर्च स्वयं वहन करें।

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री **डॉ. नरेन्द्रसिंह राठौड़** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।)